(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का सार क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने दोषी अधिकारियों तथा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग और एक सर्वदलीय संसदीय तथ्यान्वेषी दल ने, महिलाओं पर पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोपों की सत्यता का पता लगाने और तथ्यों की जांच करने के लिए मुजफ्फरनगर का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी दिनांक 16 नवम्बर, 1994 की रिपोर्ट में छेड़छाड़/बलात्कार आदि के आरोपों को सही पाया है यद्यपि नाम और संख्या नहीं दी गई है। ऐसी घटनाओं की रोक थाम के लिए "आयोग" ने कुछ नीतिगत और प्रशासनिक उपाय सुझाए हैं।

संसद सदस्यों के सर्वदलीय तथ्यान्वेषी दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस द्वारा सामुहिक बलात्कार किए जाने के संबंध में पर्याप्त सबूतों का अभाव है किन्तु यह टिप्पणी की है कि बलात्कार अथवा छेड़छाड़ के इक्का-दुक्का मामले की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, सिविल रिट याचिका संख्या 1994 की 32982 उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बारे में पारित किए गए दिनांक 7.10.94 के आदेश में समाविष्ट निदेशों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन घटनाओं की जांच शुरू कर दी है जो गढ़वाल और कुमायूं मण्डलों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में घटी थीं। इस मामले में एक रिपोर्ट, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 5.12.94 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

संविधान में निर्धारित उपबंधों के अनुसार "पुलिस और लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है, इसलिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

Transfer of Chandigarh to Punjab

*16. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to transfer the city of Chandigarh to Punjab, if so how Government propose to compensate the State of Haryana;

(b) whether the Central Government propose to help the State of Haryana in the matter of construction of its own capital within the territory of Haryana if so, what is Government's proposal in this behalf:

(c) whether it is also a fact that strong demand has been made by the litigants, lawyers and the general public for separation of High Court from Punjab and Haryana High Court and its construction in the territory of Haryana; and

(d) if so, the location and details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (d) Sincere efforts are going on to find a mutually accepted solution to the issue relating to transfer of Chandigarh to Punjab and other related matters, in consultation with the concerned parties.

LPG connections in Gujarat

*17. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state: